अभी विवाह नहीं!

बाल विवाह निषेध अधिनियम [2006]
बच्चों को उनके मौलिक अधिकार प्रदान करता है जिससे वे पूरी तरह से अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का अवसर पा सकें

जब किसी लड़की की 18 वर्ष, या लड़के की 21 वर्ष की उम्र से पहले शादी होती है, तो उसे बाल विवाह कहा जाता है। बाल विवाह करवाना दंडनीय अपराध है।

बाल विवाह रोकने के लिए शिकायत दर्ज करने के कई तरीके हैं:

- नजदीकी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करें
- BDO को सूचना दें
- न्यायिक अधिकारी को सूचना दें
- चाइल्डलाइन 1098 को फोन पर सूचना दें
- 9836 300 300* - पर मेसेज करें

यदि बाल विवाह हो जाता है, तो लड़का या लड़की बालिग होने के दो साल के भीतर शादी को रद्द कर सकते हैं

वे अपील के लिए DSW, या बाल विवाह निवारण आधिकारि के पास जा सकते हैं

यदि लड़का या लड़की युवा है, तो कोई वयस्क, या दोस्त/स्कूल के साथी, उनके तरफ से आवेदन कर सकते हैं।

*WBCPCR whatsapp helpline [2019]
केवल पश्चिम बंगाल में उपलब्ध है

बाल विवाह एक ऐसा अपराध है जिसमें ज़मानत नहीं मिलती

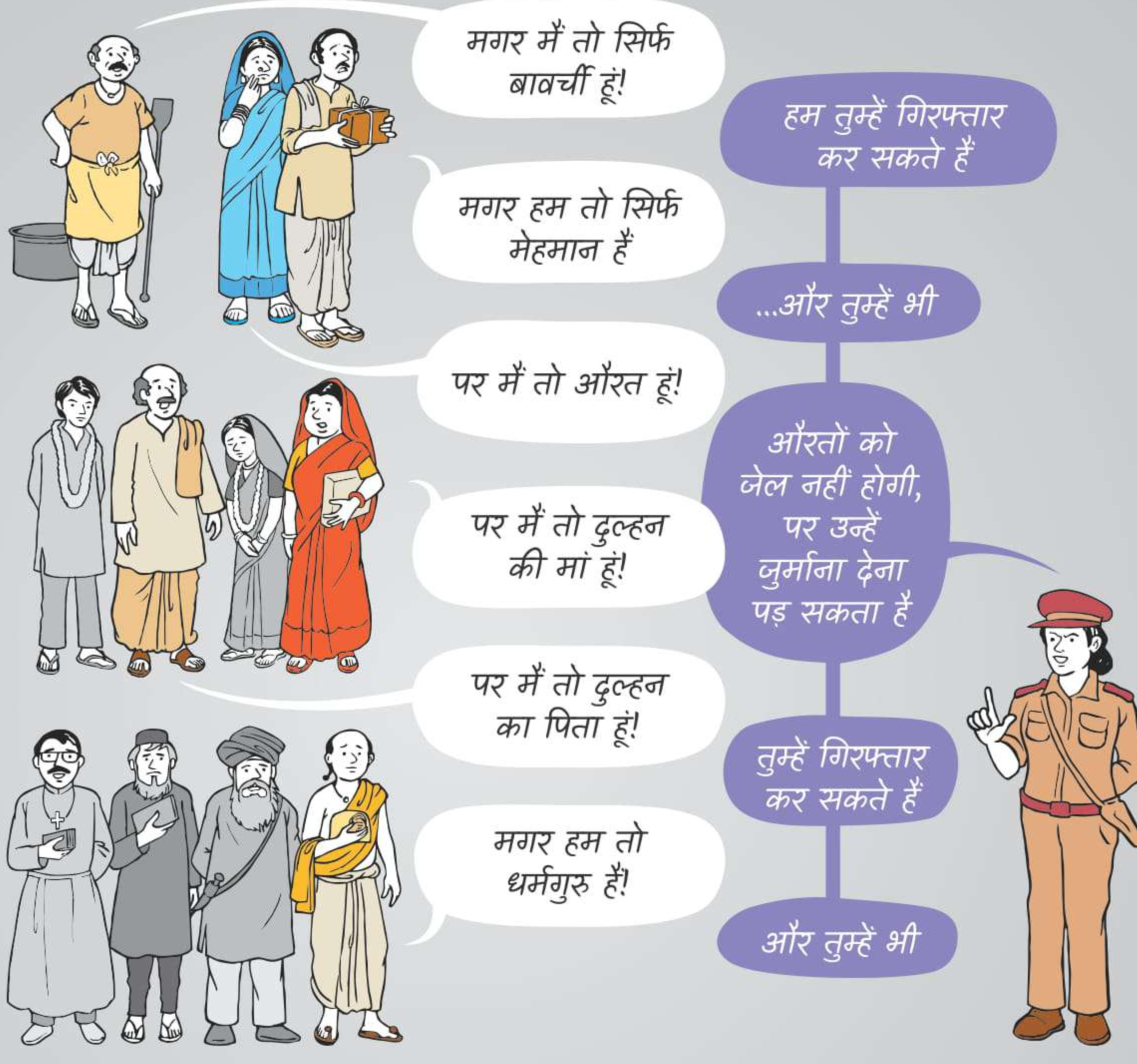

एक वयस्क दुल्हे, उसके तथा लड़की के माता-पिता या अभिभावकों को 2 साल की जेल हो सकती है, या 1 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है, या दोनों

हम FIR दर्ज करेंगे और जल्द ही जांच-पड़ताल करेंगे
हम लड़की को २४ घंटों के अंदर अधिकारी के सामने पेश करेंगे
बचाव के दौरान बच्चों को हथकड़ी नहीं पहनाई जाएगी

मगर हमारे समाज में अभी भी बाल विवाह का प्रचलन क्यों है?
क्योंकि, लड़कों और लड़कियों के कानूनन समान अधिकार होते हुए भी...
समाज लड़कियों को बराबरी का दर्जा नहीं देता
अगर एक लड़की की शादी जल्दी हो जाए तो उसे कम दहेज़ देना पड़ता है...
मगर दहेज देना या लेना दोनों ही अपराध होते हैं!

इससे लड़कियां असुरक्षित संबंधों से बच सकती हैं
लड़की की शादी हो जाए तो माता-पिता की चिंता ख़त्म हो जाती है. शादी कर लेने में लड़की का ही भला है...
असल में जल्दी शादी होने से लड़कियां घरेलू हिंसा की चपेट में ज़्यादा आसानी से आ सकती हैं
क्योंकि बाल विवाह से सम्बंधित समस्याओं की कोई बात भी नहीं करता
क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है कि बाल विवाह ग़ैर-क़ानूनी होता है
क्योंकि बहुत से लोगों को बचपन में अविवाहित होने के लाभ मालूम ही नहीं होते

जब बाल विवाह होता है...

मेरी बाल श्रम या यौन कर्म के लिए तस्करी होने वाली है

असुरक्षित सेक्स से बीमारियां हो सकती हैं; उनसे मेरी मृत्यु हो सकती है!

मैं घरेलू हिंसा की चपेट में ज़्यादा आसानी से आ सकती हूं

मैं एक मां बनने के लिए बहुत छोटी हूं। मेरा बच्चा बीमार और दुर्बल है

बाल विवाह बच्चे के फैसले लेने के अधिकार को सीमाबद्ध करता है, और पीढ़ीयों से चले आ रहे ग़रीबी के कालचक्र को बढ़ावा देता है

जब बाल विवाह नहीं होता...

परिवार, समुदाय और देश के सुधार के लिए...
...शिक्षित और स्वतंत्र लड़कियों की ज़रूरत है

बाल विवाह रोकना सबका कर्तव्य होता है।

पड़ोसी

शिक्षक

स्थानीय दल / स्वयंसेवी संस्था

पुलिस

पंचायत

बाल कल्याण समिति

बाल विवाह
निवारण अधिकारी

न्यायिक मजिस्ट्रेट

जिला मजिस्ट्रेट
BDO

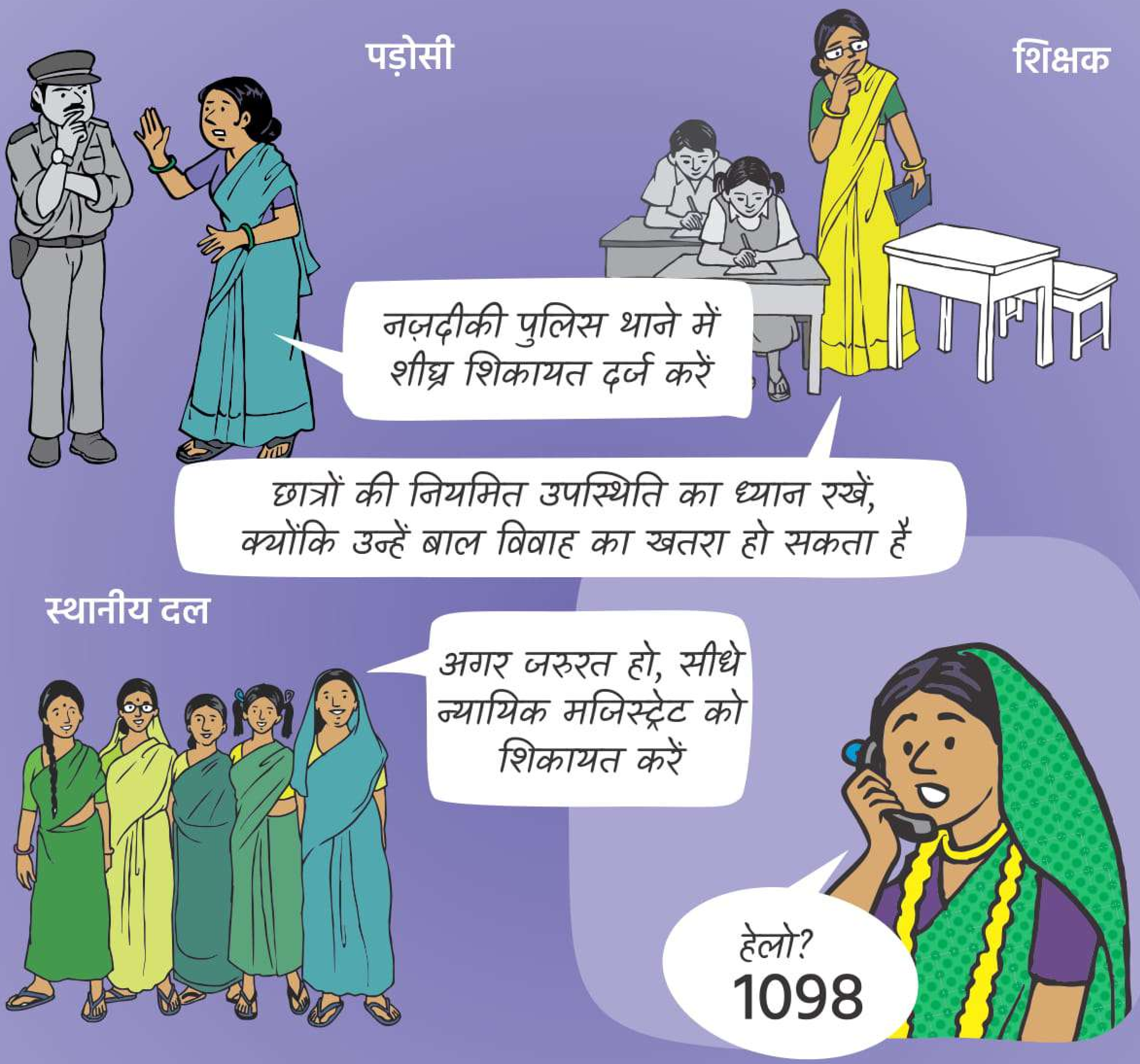

बाल विवाह रोकना सबका कर्तव्य होता है। एक लड़की खुद ही चाइल्डलाइन (1098) पर फोन कर सकती है

पंचायत

आइए सुनिश्चित करें कि हमारे गांव में बाल सुरक्षा समिति मौजूद है
सदस्यों को किसी भी बाल विवाह का समर्थन नहीं करना चाहिए
यह भी सुनिश्चित करेंगे कि गलत जन्म प्रमाण पत्र के कारण बच्चे का भविष्य नष्ट न हो

बाल कल्याण समिति की अनुपस्थिति में, ब्लॉक विकास दफ्तर [BDO] या जिला बाल संरक्षण कार्यालय [DCPU] इसके लिए जिम्मेदार है

न्यायिक मजिस्ट्रेट

जहां ज़रूरत हो, वहां अधिकारी बाल विवाह के कुप्रभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए परामर्श कर सकती है

जिला मजिस्ट्रेट

अपनी पसंद के कुछ **पड़ोसियों या शिक्षकों** को इस पुस्तक को दिखाएं
और समझाएं; उनसे इस पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध करें

हां, मैं बाल विवाह को रोकने में आपकी मदद करूंगा/करूंगी

नाम	पद	हस्ताक्षर

अपनी पसंद के कुछ **पंचायत सदस्यों या पुलिस** को इस पुस्तक को
दिखाएं और समझाएं; उनसे इस पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध करें

हां, मैं बाल विवाह को रोकने में आपकी मदद करूंगा/करूंगी

नाम	पद	हस्ताक्षर

बाल विवाह होने पर कौन सी समस्याएं हो सकती हैं?

यहाँ एक सूची लिखें

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

आप बाल विवाह से संबंधित जानकारी कहां देंगे?

यहाँ महत्वपूर्ण फ़ोन नंबर लिखें

पुलिस

BDO

DCPU

चाइल्डलाइन 1098

9836 300 300

पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग

+91 33 2356 0385
wbscpcr@gmail.com
wbcpcr.org

developed by
THOUGHTSHOP FOUNDATION
thoughtshopfoundation.org

2019